

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 695] No. 695] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 8, 2017/फाल्गुन 17, 1938

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 8, 2017/PHALGUNA 17, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2017

का.आ. 772(अ).—केन्द्रीय सरकार, धातुमय खान विनियम, 1961 के विनियम 11 के उप—विनियम (1), (2) और (3) एवं (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20-07-2011 की अधिसूचना सं. का. आ. 1664(अ) का अधिकमण करते हुए, एतद्द्वारा खनन परीक्षा बोर्ड (धातु) का गठन करती हैं, और निम्नलिखित व्यक्तियों को अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अविध के लिए बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात् :—

- 1. मुख्य खान निरीक्षक अध्यक्ष पदेन (अब खान सुरक्षा महानिदेशाक के रूप में नामोद्यिष्ट)
- 2. डॉ. नरेन्द्र कुमार नन्दा सदस्य निदेशक (तकनीकी), एन एम डी सी लिमिटेड, 10—3—311 / ए, खनिज भवन, कैशल हिल्स, मासब टैंक, हैदराबाद। 500028
- 3. डॉ राम माधव भट्टाचार्जी, सदस्य प्रोफेसर, खनन अभियांत्रिकी विभाग, भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान (भारतीय खनि विद्यापीठ) घनबाद, झारखंड— 826004
- 4. श्री वी. एम. एस. आर. मूर्ती, सदस्य प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, खनन अभियांत्रिकी विभाग, भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थान (भारतीय खनि विद्यापीठ) घनबाद, झारखंड— 826004
- 5. श्री एस सी भौमिक, सदस्य महा प्रबंधक (खनन) यूरेनियम कॉपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जाडुगूडा खान, सिंहभूम (पूर्वी), झारखंड 832102

1295 GI/2017 (1)

6 श्री एल एस शेखावत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खान हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, यशद भवन, उदयपुर (राजस्थान)–313 004. – सदस्य

[सं. एस—66012 / 1 / 2004—आई.एस.एच—II]

हीरालाल सामरिया, अपर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2017

S.O. 772(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-Regulations (1), (2), (3) and (4) of Regulation 11 of the Metalliferous Mines Regulations, 1961 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour & Employment number S.O. 1664(E) dated 20-07-2011, the Central Government hereby constitutes the Board of Mining Examinations (Metal) and appoint the following persons as members of the Board for a period of three years from the date of publication of this notification, namely:—

1. Chief Inspector of Mines

- Chairman ex-officio

(Since designated as Director General of Mines Safety)

2. Dr. Narendra Kumar Nanda

-Member

Director (Technical), NMDC Limited, 10-3-311/A, Khanij Bhavan, Castle Hills, Masab tank

Hyderabad-500028

3. Dr. Ram Madhab Bhattacharjee,

- Member

Professor.

Department Of Mining Engineering,

Indian Institute of Technology (Indian School of Mines),

Dhanbad-826004

4. Dr. V.M.S.R Murthy,

- Member

Professor and Head

Department of Mining Engineering

Indian Institute of Technology (Indian School of Mines)

Dhanbad-826004, Jharkhand.

5. Shri S. C. Bhowmik

- Member

General Manager (Mines)

Uranium Corporation of India Limited Jaduguda Mines, Singhbhum (East)

Jharkhand-832102

6. Shri L S Shekhawat

- Member

COO-Mines, Hindustan Zinc Limited

Yashad Bhawan, Udaipur

Rajasthan-313004

[No. S-66012/1/2004-ISH-II]

HEERALAL SAMARIYA, Addl. Secy.